प्रेस विज्ञप्ति
19/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मैसर्स ब्लॉसम ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एम वेंकट नागेंद्र के प्रतिनिधित्व वाले सर्वदे विनोद कुमार और मैसर्स जन शक्ति ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 2.43 करोड़ रुपये (बही मूल्य) की अचल संपत्ति कुर्क की है। कुर्क अचल संपत्तियों में आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी ने मैसर्स ब्लॉसम ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई बीएस&एफसी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। सीबीआई ने माननीय XXI अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सह सीबीआई मामलों के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद की अदालत में आरोप पत्र संख्या 1918/2019 दिनांक 19.02.2019 दायर किया। मेसर्स ब्लॉसम्स ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य ने जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त करके इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक के साथ धोखाधड़ी की और ऋण राशि प्राप्त होने पर, उन्होंने इसे अपनी सहयोगी समूह कंपनियों के माध्यम से अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए डायवर्ट कर दिया और इस तरह इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक को 266.74 करोड़ रुपये की गैरकानूनी गलत हानि पहुंचाई।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स ब्लॉसम्स ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रमोटर और निदेशक, टी जी सूर्यनारायण और अन्य करते हैं, ने फर्जी और गुलाबी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके, 2012 और 2013 की बैलेंस शीट में भारी मात्रा में नकदी और नकदी समकक्ष दिखाते हुए, बढाचढा कर मासिक स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत करके, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक से धोखाधड़ी से ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं और सहयोगी/समूह कंपनियों के पक्ष में झूठे, मनगढ़ंत और धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करके इंडियन ओवरसीज बैंक से 74 लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट (एलसी) और इंडियन बैंक से 8 एलसी प्राप्त किए, जिनसे कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई और बिना किसी वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के और ऋण की आय और हस्तांतरित एल.सी. आय का उपयोग/डायवर्ट करके विभिन्न कंपनियों के माध्यम से धन की राउंड-ट्रिपिंग की गई ताकि मौजूदा ऋणों का पुनर्भुगतान किया जा सके और हस्तांतरित एल.सी. पर ब्याज का भुगतान किया जा सके। पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप अपराध की आय उत्पन्न हुई, जिसका शोधन किया गया तथा उसका उपयोग व्यवसाय के साथ-साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए भी किया गया।